छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 246 | प्रकरण क्रमांक – **SM-REG-2024-02381**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मारूति इन्फ्रा सिटी'' प्रमोटर–श्री राकेश कुमार सोनी, शैली एस्टेट्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता–प्लॉट क्रमांक–33/532, सांई चेम्बर्स, श्याम नगर रोड, तेलीबांधा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''मारूति इन्फ्रा सिटी'' पता–ग्राम–सांकरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
17/02/2025	– प्रकरण प्रस्तुत । – छ.ग. भू–सपंदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), रायपुर (छ.ग.) द्वारा अनावेदक शैली एस्टेट्स एण्ड डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री राकेश कुमार सोनी, पता–प्लॉट क्रमांक–33/532, सांई चेम्बर, श्याम नगर रोड, तेलीबांधा, जिला–रायपुर (छ.ग.) के विरूद्ध प्रोजेक्ट ''मारूति इन्फ्रा सिटी फेस–02) पता–ग्राम–सांकरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.) के लिये प्रकरण क्रमांक– **M-ALL-2023-02005, M-ALL-2023-02027,** एवं **M-ALL-2023-02115,** में पारित आदेश दिनाँक 27.03.2024 के अनुसार अनावेदक/प्रमोटर को (P-3B) प्रमोटर कॉन्ट्रेक्टर श्रेणी में पंजीयन कराने के पश्चात् ही आबंटिती से अनुबंध करना था, किन्तु बिना पंजीयन करवाये अनुबंध किया गया है, जो कि भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–03 के प्रावधानों एवं प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है; आदेश पारित किया गया तथा रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को अनावेदक के विरूद्ध भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–03 प्रावधानों के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, जिसके परिपालन में प्राधिकरण द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को उक्त के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने एवं अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया गया। उन्हें ई–मेल के द्वारा भी नोटिस व दस्तावेज प्रेषित किये गये। – प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक–**M-ALL-2023-02005, M-ALL-2023-02027,** एवं **M-ALL-2023-02115** में पारित आदेश दिनाँक	

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	27.03.2024 को रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को निर्देश दिया गया है कि अनावेदक क्रमांक–03 के विरूद्ध अधिनियम की धारा–03 के उल्लंघन के लिये पृथक से प्रकरण दर्ज करते हुये अनावेदक क्रमांक–03 के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी कर प्रकरण संस्थित करे। प्रकरण क्रमांक–**M-ALL-2023-02005, M-ALL-2023-02027,** एवं **M-ALL-2023-02115** में अनावेदक के विरूद्ध जमानती वारंट जारी किया गया, आगामी सुनवाई तिथि 24.11.2023 को जमानती वारंट तामिल होने के पश्चात् भी अनावेदक अनुपस्थित रहे। पुनः जमानती वारंट जारी किया गया, आगामी सुनवाई तिथि 22.12.2023 को अनावेदक के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये। इस प्रकरण में भी अनावेदक को दिनाँक 20.05.2024 को नोटिस जारी किया गया, किन्तु अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं हुये। नोटिस तामिली संबंधी Post track consigment प्रकरण में संलग्न किया गया। पुनः नोटिस जारी किया जाकर रजिस्टर्ड ए/डी के माध्यम से तामिल कराया गया। दिनाँक 03.06.2024 को अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं हुये। नोटिस अदम तामिल प्राप्त होकर प्रकरण में संलग्न किया गया। अनावेदक के विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर संबंधित थाना के माध्यम से तामिल कराया गया। दिनाँक 26.06.2024 को अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं हुये। जमानती वारंट तामिल पश्चात् अप्राप्त। पुनः अनावेदक के विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर संबंधित थाना के माध्यम से तामिल कराया गया। दिनाँक 10.07.2024 को अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री सर्वेश खटनानी उपस्थित हुये और प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। दिनाँक 15.07.2024 को अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं हुये। दिनाँक 05.08.2024 को अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं	

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	हुये। जमानती वारंट तामिल पश्चात् अप्राप्त। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुनः जमानती वारंट जारी किया गया। दिनाँक 28.08.2024 को अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं हुये। अनावेदक के विरूद्ध पुनः जमानती वारंट जारी कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तामिल कराया जावे। दिनाँक 18.09.2024 अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं हुये। जमानती वारंट तामिल पश्चात् अप्राप्त। अनावेदक के विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तामिल कराया जावे। दिनाँक 04.10.2024 जमानती वारंट तामिल पश्चात् अप्राप्त। अनावेदक के विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तामिल कराया जावे। दिनाँक 18.10.2024 को अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं। जमानती वारंट तामिल पश्चात् अप्राप्त। अनावेदक के विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तामिल कराया जावे। दिनाँक 11.11.2024 अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक के विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तामिल कराया जावे। दिनाँक 29.11.2024 अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक के विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तामिल कराया जावे। दिनाँक 23.12.2024 अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक के विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से तामिल कराया जावे। दिनाँक 22.01.2025 अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं। जमानती वारंट तामिल पश्चात् अप्राप्त। इस प्रकार स्पष्ट है कि अनावेदक को पक्ष प्रस्तुतीकरण, साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु समुचित व पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, किन्तु अनावेदक की उदासीनता के चलते अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 246 प्रकरण क्रमांक – **SM-REG-2024-02381**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मारूति इन्फ्रा सिटी'' प्रमोटर–श्री राकेश कुमार सोनी, शैली एस्टेट्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता–प्लॉट क्रमांक–33/532, सांई चेम्बर्स, श्याम नगर रोड, तेलीबांधा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''मारूति इन्फ्रा सिटी'' पता–ग्राम–सांकरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– अनावेदक श्रीमती परगुन छाबड़ा एवं श्री मोनेन्द्र छाबड़ा भू–संपदा प्रोजेक्ट ''मारूति इन्फ्रा सिटी'' का संप्रवर्तक है, जिसके द्वारा नियमित विकास कार्य किया जा रहा है। अनावेदक क्रमांक–03 उक्त भू–संपदा प्रोजेक्ट में अनावेदक क्रमांक–01 एवं 02 का चैनल पार्टनर रहे हैं व संप्रवर्तक के साथ निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा भूखण्ड का विक्रय किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा भूखण्ड का निर्माण कर अनावेदक के साथ सहयोगी होकर भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अनावेदक द्वारा मूल सप्रंवर्तक के साथ मिलकर विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है। प्रश्नगत प्रोजेक्ट ''मारूति इन्फ्रा सिटी'' के विपणन विज्ञापन में शैली एस्टेट का फोन नंबर पार्टनर के रूप में दिया गया है, इसके पश्चात् अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में विज्ञापन दिनाँक 18.03.2018 एवं दिनाँक 18.04. 2018 में भी शैली एस्टेट का उल्लेख किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अनावेदक के लिये प्रमोटर कॉन्ट्रेक्टर है। प्राधिकरण द्वारा परिपत्र क्रमांक–10/रेरा/ 2018/246, दिनाँक– 22.05.2018 जो कि निम्नानुसार उद्धरित हैः– भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, ''कोई भी प्रमोटर, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बिना यथास्थिति, किसी प्लॉट, अपार्टमेंट, भवन या उसके किसी भाग को किसी भी रीति में विज्ञापित, विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय का ऑफर नहीं करेगा।'' विभिन्न माध्यमों से प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आए हैं कि भू–खण्ड विकास के प्रोजेक्ट्स में सामान्यतः भू–खण्ड विक्रय के पश्चात् कई प्रमोटर्स द्वारा स्वयं की फर्म या किसी अन्य फर्म/एजेंसी के माध्यम से उन विक्रित भू–खण्डों	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 246 | प्रकरण क्रमांक – **SM-REG-2024-02381**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मारूति इन्फ्रा सिटी'' प्रमोटर–श्री राकेश कुमार सोनी, शैली एस्टेट्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता–प्लॉट क्रमांक–33/532, सांई चेम्बर्स, श्याम नगर रोड, तेलीबांधा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''मारूति इन्फ्रा सिटी'' पता–ग्राम–सांकरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	पर मकान/भवन बनाकर उनका प्रतिफल क्रेता से लिया जाता है। इसके लिए वे क्रेता से भवन निर्माण संबंधी अनुबंध या अन्य व्यवस्थाएँ भी करते हैं और इन परिस्थितियों में रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने के संबंध में अनेक तरह की धारणाएँ हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है– ''अधिनियम की धारा 2 (zk) में ''प्रमोटर'' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार 'प्रमोटर' से अभिप्रेत है– ऐसा व्यक्ति, जो किसी स्वतंत्र भवन या अपार्टमेंट वाले किसी भवन का सभी अपार्टमेंटों या उनमें से कुछ का अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने के प्रयोजन के लिए सन्निर्माण करता है या सन्निर्माण कराता है अथवा किसी विद्यमान भवन या उसके किसी भाग को अपार्टमेंटों में संपरिवर्तित करता है और इसके अंतर्गत उसके समनुदेशिती भी है; ऐसा व्यक्ति, जो किसी परियोजना में, भूमि का, चाहे वह किसी भी भू–खंड पर अवसंरचनाओं का निर्माण करता है अथवा नहीं, उक्त परियोजना में सभी या कुछ भू–खंडों का अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने के प्रयोजन के लिए विकास करता है; या (क) यथास्थिति, विकास प्राधिकरण या लोक निकाय द्वारा उसके स्वामित्वाधीन या सरकार द्वारा अध्ययन के लिए उसके पास रखी भूमि पर सन्निर्मित भवनों या अपार्टमेंटों; या (ख) ऐसे प्राधिकरण या निकाय के स्वामित्वाधीन या सरकार द्वारा व्ययन के लिए उसके पास रखे भू–खंडों, के आबंटिती की बाबत सभी या कुछ अपार्टमेंटों या भू–खंडों का विक्रय करने के	

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	प्रयोजन के लिए ऐसा कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय; या कोई ऐसी उच्चतर राज्य स्तरीय सहकारी आवास वित सोसाइटी और प्राथमिक सहकारी आवास सोसाइटी, जो अपने सदस्यों के लिए या ऐसे अपार्टमेंटों या भवनों के आबंटितियों की बाबत अपार्टमेंटों या भवनों का सन्निर्माण करती है; या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो स्वयं एक निर्माणकर्ता, कालोनी निर्माता, ठेकेदार, विकासकर्ता, संपदा विकासकर्ता के रूप में या किसी अन्य नाम से कार्य करता है अथवा उस भूमि के, जिस पर विक्रय के लिए भवन या अपार्टमेंट का सन्निर्माण किया जाता है या भू–खंड विकास किया जाता है, स्वामी से प्राप्त मुख्तारनामे के धारक के रूप में कार्य करने का दावा करता है; या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो जनसाधारण को विक्रय के लिए किसी भवन या अपार्टमेंट का सन्निर्माण करता है। **स्पष्टीकरण** – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसा व्यक्ति, जो विक्रय के लिए किसी भवन का निर्माण करता है या उसको अपार्टमेंटों में संपरिवर्तित करता है या किसी भू–खंड का विकास करता है और वह व्यक्ति, जो अपार्टमेंटों या भू–खंडों का विक्रय करते हैं, भिन्न–भिन्न व्यक्ति हैं तो उन दोनों को प्रमोटर समझा जाएगा और वे अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट कृत्यों और उत्तरदायित्वों के लिए उस रूप में संयुक्त रूप में दायी होंगे।'' अधिनियम की धारा 2 (zk) अंतर्गत प्रदत्त प्रमोटर की परिभाषा के खण्ड (v) व उक्त स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो स्वयं एक निर्माणकर्ता, कालोनी निर्माता, ठेकेदार, विकासकर्ता, संपदा विकासकर्ता के रूप में या किसी अन्य नाम से कार्य करता है अथवा उस भूमि के, जिस पर	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 246 प्रकरण क्रमांक – **SM-REG-2024-02381**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मारूति इन्फ्रा सिटी'' प्रमोटर–श्री राकेश कुमार सोनी, शैली एस्टेट्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता–प्लॉट क्रमांक–33/532, सांई चेम्बर्स, श्याम नगर रोड, तेलीबांधा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''मारूति इन्फ्रा सिटी'' पता–ग्राम–सांकरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	विक्रय के लिए भवन या अपार्टमेंट का सन्निर्माण किया जाता है या भू–खंड विकास किया जाता है, स्वामी से प्राप्त मुख्तारनामे के धारक के रूप में कार्य करने का दावा करता है, प्रमोटर माना जाएगा। अर्थात् ऐसे प्रमोटर्स जो भू–खण्ड विकास के प्रोजेक्ट में भवन/मकान निर्माण करते हैं, उन्हें भी रेरा अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अनावेदक द्वारा परिपत्र क्रमांक–10/रेरा/2018/246, दिनाँक 22.05.2018 के अनुसार प्राधिकरण के समक्ष पंजीयन नहीं कराया गया है, जो भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–03 का उल्लंघन है। छ.ग. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–38/रेरा/2019, 2823 डी, रायपुर दिनाँक 24.12.2018, भू–खण्डीय विकास/अपार्टमेंट, भवन निर्माण के पंजीकृत प्रोजेक्ट में प्रमोटर इनवेस्टर (P-2) प्रमोटर कॉन्ट्रेक्टर (P-3A/3B) के रूप में पंजीयन के संबंध में स्पष्टीकरण, उक्त परिपत्र के अनुसार अनावेदक क्रमांक–01 को (P-3B) प्रमोटर कॉन्ट्रेक्टर श्रेणी में पंजीयन करवाने के पश्चात् ही आवेदिका एवं अन्य आबंटिती से अनुबंध करना था, किंतु बिना पंजीयन करवाए अनुबंध किया गया है, जिससे अनावेदक क्रमांक–01 द्वारा धारा–01 का उल्लघंन किया गया है और इस प्रकार स्वयं को धारा–59 के अधीन शास्ति के लिये दायी बना लिया गया है। प्रश्नगत प्रोजेक्ट का मूल्य 2143.01 लाख रूपये है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्राधिकरण द्वारा धारा–59 का उल्लंघन करने के कारण रूपये 50 लाख की शास्ति अधिरोपित की जा सकती है। अनावेदक की धारा–59 के उल्लंघन के लिये रूपये 50 लाख की शास्ति अधिरोपित करना युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत प्रतीत होता है, अतः अनावेदक के विरूद्ध आदेश पारित किया जाता है कि अनावेदक, 45 दिवस के	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 246 | प्रकरण क्रमांक – **SM-REG-2024-02381**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मारूति इन्फ्रा सिटी'' प्रमोटर–श्री राकेश कुमार सोनी, शैली एस्टेट्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता–प्लॉट क्रमांक–33/532, सांई चेम्बर्स, श्याम नगर रोड, तेलीबांधा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''मारूति इन्फ्रा सिटी'' पता–ग्राम–सांकरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	भीतर शास्ति की राशि 50 लाख निर्धारित शासकीय मद में जमा करना सुनिश्चित करे। यदि अनावेदक द्वारा 45 दिवस की अवधि में भी शास्ति की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत पर अनावेदक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

क्रमांक – 246 प्रकरण क्रमांक – **SM-REG-2024-02381**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मारूति इन्फ्रा सिटी'' प्रमोटर–श्री राकेश कुमार सोनी, शैली एस्टेट्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता–प्लॉट क्रमांक–33/532, सांई चेम्बर्स, श्याम नगर रोड, तेलीबांधा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''मारूति इन्फ्रा सिटी'' पता–ग्राम–सांकरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 246 प्रकरण क्रमांक – **SM-REG-2024-02381**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मारूति इन्फ्रा सिटी'' प्रमोटर–श्री राकेश कुमार सोनी, शैली एस्टेट्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता–प्लॉट क्रमांक–33/532, सांई चेम्बर्स, श्याम नगर रोड, तेलीबांधा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''मारूति इन्फ्रा सिटी'' पता–ग्राम–सांकरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 246 प्रकरण क्रमांक – **SM-REG-2024-02381**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मारूति इन्फ्रा सिटी'' प्रमोटर–श्री राकेश कुमार सोनी, शैली एस्टेट्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता–प्लॉट क्रमांक–33/532, सांई चेम्बर्स, श्याम नगर रोड, तेलीबांधा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''मारूति इन्फ्रा सिटी'' पता–ग्राम–सांकरा, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर